[एफ सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एमआईएएल/सीपी-II/2016-17/वाल्यूम-VII]/

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

(शुद्धि पत्र : आदेश संख्या 13/2016-17)

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स,
सफदरजंग एयरपोर्ट,
नई दिल्ली -110003

आदेश की तारीख : 26 अक्तूबर, 2016

जारी करने की तारीख : 28 अक्तूबर, 2016

एयरपोर्ट ऑपरेटर : मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (एमआईएएल)

हवाई अड्डा : छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय (सीएसआई) हवाई अड्डा, मुम्बई

छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मुम्बई के संबंध में द्वितीय नियत्रंण अवधि (2014-19) के लिए ईंधन थ्रोपुट प्रभार (एफटीसी) की समीक्षा और निर्धारण के मामले में।

1. प्राधिकरण ने दिनांक 29.09.2016 के आदेश संख्या 13/2016-17 के द्वारा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मुम्बई के संबंध में दिनांक 1.11.2016 से लागू द्वितीय नियत्रंण अवधि के लिए टैरिफ का निर्धारण किया था।

2. आदेश लागू होने के पश्चात तेल कंपनियां अर्थात आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल ने पूर्व प्रभावी तारीख से एफटीसी के उद्ग्रहण के प्रति एयरलाईन ऑपरेटरों से उसकी वसूली में कठिनाई के कारण संयुक्त रूप से प्रतिवेदन दिया। इसके पश्चात तेल कंपनियों ने कहा कि एफटीसी को भावी तारीख से उद्ग्रहित किया जा सकता है और इसलिए दिनांक 1.04.2014 से 31.10.2016 तक मियाल के प्रस्तुत करने के अनुसार देय मानी जाने वाली राशि को प्रभारित किया जाए और शेष नियत्रंण अवधि के लिए वसूल किया जाए। दिनांक 13.10.2016 को प्राधिकरण कार्यालय में मियाल के प्रतिनिधि और तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। जिसमें उक्त विषय पर विचार विर्मश किया गया था और यह सुझाव दिया गया था कि मियाल एफटीसी को संशोधित कर सकता है और उसका भावी तारीख से उद्ग्रहण कर सकता है।

3. तदानुसार, मियाल ने दिनांक 19.10.2016 के पत्र द्वारा संशोधित ईंधन थ्रो-पुट प्रभारों को अग्रेषित किया और प्राधिकरण को नीचे दी गई तालिका के अनुसार दिनांक 01.11.2016 से लागू द्वितीय नियत्रंण अवधि के दौरान उद्ग्रहण किए जाने वाले एफटीसी को संशोधित करने का अनुरोध किया।

उद्ग्रहण की तारीख (प्रभावी)	ईंधन थ्रो-पुट प्रभार (कर रहित) (आदेश के अनुसार)	ईंधन का प्रति कि.ली. प्रभार (कर रहित) संशोधित
01.04.2014	रूपए 729.31	रूपए 688.17
01.04.2015	रूपए 765.77	रूपए 688.17
01.04.2016	रूपए 804.06	रूपए 688.17
01.11.2016	रूपए 804.06	रूपए 887.76
01.04.2017	रूपए 844.26	रूपए 932.15
01.04.2018	रूपए 886.48	रूपए 978.76

4. मियाल द्वारा प्रस्तुत किए गए उपरोक्त ईंधन थ्रो-पुट प्रभार की प्राधिकरण ने 26.10.2016 को हुई अपनी 165 वीं बैठक में समीक्षा की। यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए दिनांक 29.09.2016 के अपने आदेश संख्या 13/2016-17 की तालिका 62 द्वारा पहले ही अनुमोदित लक्षित राजस्व के निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) को निरंतर बनाए रखा जाए, तदनुसार, ईंधन थ्रो-पुट प्रभार को नीचे दिए अनुसार दोबारा तैयार किया गया।

ब्यौरेवार	वित्त वर्ष 2015	वित्त वर्ष 2016	वित्त वर्ष 2017 (दिनांक 31.10.2016 तक)	वित्त वर्ष 2017 (दिनांक 1.11.2016 से 31.03.2017 तक)	वित्त वर्ष 2018	वित्त वर्ष 2019
दर प्रति कि.ली. - रूपए	688.17	688.17	688.17	883.03	927.18	973.54

5. तदनुसार प्राधिकरण ने दिनांक 26.10.2016 को हुई अपनी 165 वीं बैठक में यह निर्णय लिया कि संशोधित ईंधन थ्रो-पुट प्रभार का भावी तारीख से अर्थात दिनांक 01.11.2016 से उद्ग्रहण किया जाए।

आदेश

1. प्राधिकरण ने भारतीय आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और प्राधिकरण के सम्मुख रिकॉर्ड के रूप में रखे गए तथ्यों और स्पष्टीकरणों का प्रयोग करते हुए निर्णय लिया और यह आदेश दिया कि:

2. द्वितीय नियत्रंण अवधि (2014-19) के लिए ईंधन थ्रो-पुट प्रभार (एफटीसी) को मियाल द्वारा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मुम्बई पर नीचे दी गई दरों के अनुसार दिनांक 01.11.2016 से उद्ग्रहण किया जाए।

प्रभारों के उद्ग्रहण की तारीख	ईंधन थ्रो-पुट प्रभार प्रति कि.ली. (कर रहित) (संशोधित)
01.04.2014	रूपए 688.17
01.04.2015	रूपए 688.17
01.04.2016	रूपए 688.17
01.11.2016	रूपए 883.03
01.04.2017	रूपए 927:18
01.04.2018	रूपए 973.54

प्राधिकरण के आदेश और नाम से

ह./-
(पूजा जिंदल)
सचिव

सेवा में,

मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (प्रा.) लिमिटेड,
छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
प्रथम तल, टर्मिनल-1 बी, सांताक्रूज (पूर्व),
मुम्बई- 400009

(मार्फत : श्री. आर.के. जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

प्रतिलिपि: सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली -110003

(नोट: किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ही मूल माना जाए।)